रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18032023-244458
CG-DL-W-18032023-244458

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, मार्च 12—मार्च 18, 2023, शनिवार/फाल्गुन 21—फाल्गुन 27, 1944
No. 11] NEW DELHI, MARCH 12—MARCH 18, 2023, SATURDAY/PHALGUNA 21—PHALGUNA 27, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

का.आ. 324.—भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री राजकुमार के स्थान पर श्री एम. जगन्नाथ (जन्म तिथि 16.5.1965), क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), हैदराबाद जोन, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अधिवर्षिता की तारीख (अर्थात 31.5.2025) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 2,05,400 रुपए से 2,24,400 रुपए के वेतनमान में भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-11011/11/2022-बीमा-I]

जगजीत कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 13th March, 2023

S.O. 324.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Life Insurance Corporation of India Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri M. Jagannath (date of birth: 16.5.1965) Zonal Manager (In-charge), Hyderabad Zone, Life Insurance Corporation (LIC) of India as Managing Director, LIC of India in the pay scale of Rs. 2,05,400/- to Rs. 2,24,400/- *vice* Shri Raj Kumar with effect from the date of assumption of charge of office and upto the date of his superannuation (i.e. 31.5.2025), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-11011/11/2022-Ins.I]

JAGJEET KUMAR, Director

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

का.आ. 325.—भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री बी. सी. पटनायक के स्थान पर श्री तबलेश पाण्डेय (जन्म तिथि 17.5.1965), कार्यपालक निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई को दिनांक 1.4.2023 को या उसके बाद पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अधिवर्षिता की तारीख (अर्थात 31.5.2025) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 2,05,400 रुपए से 2,24,400 रुपए के वेतनमान में भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-11011/11/2022-बीमा-I]

जगजीत कुमार, निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2023

S.O. 325.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Life Insurance Corporation of India Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri Tablesh Pandey (date of birth: 17.5.1965) Executive Director, Life Insurance Corporation (LIC) of India, Central Office, Mumbai as Managing Director, LIC of India, in the pay scale of Rs. 2,05,400/- to Rs. 2,24,400/- *vice* Shri B.C. Patnaik with effect from the date of assumption of charge of office on or after 1.4.2023 and upto the date of his superannuation (i.e. 31.5.2025), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-11011/11/2022-Ins.I]

JAGJEET KUMAR, Director

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

का.आ. 326.—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्वारा, डॉ. एम. डी. पात्रा, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के निदेशक मंडल में पुन: नियुक्त करती है।

[फा. सं. 7/11/2018-एसी]

चन्द्रगुप्त शौर्य, अवर सचिव

New Delhi, the 13th March, 2023

S.O. 326.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 6 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby re-appoints Dr. M.D. Patra, Deputy Governor in Reserve Bank of India (RBI) on the Board of Directors of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), for a period of three years, from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 7/11/2018-AC]

CHANDRAGUPTA SHAURYA, Under Secy.

अंतरिक्ष विभाग

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

का.आ. 327.—केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में एतद्वारा अंतरिक्ष विभाग के निम्नलिखित कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र – मध्य (आर.आर.एस.सी.-सी.)

एन.आर.एस.सी./इसरो/अंतरिक्ष विभाग

अमरावती रोड, नागपुर - 440033

[फा. सं. 8/1/10/2011-हिं]

के. वी. रमणा बाबू, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

New Delhi, the 13th March, 2023

S.O. 327.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Language (use for official purpose of the Union) Rule, 1976, the Central Government, hereby notifies the following office of the Department of Space, whereof more than 80 percent staff have acquired the working knowledge of Hindi.

Regional Remote Sensing Centre – Central (RRSC-C)
NRSC/ISRO/Department of Space
Amravati Road, Nagpur - 440033

[F. No. 8/1/10/2011-H]

KV RAMANA BABU, Under Secy.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2023

का.आ. 328.—केन्द्र सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्न सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारियों, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी के समतुल्य अधिकारी हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारी के तौर पर नियुक्त करती है, जोकि उक्त सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सरकारी स्थान के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा या के तहत संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और दिए गए कर्तव्यों का निवर्हन करेंगे।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	**सरकारी स्थान की श्रेणी**
(1)	(2)
श्री उमा दत्त सती, प्रभारी (पीएण्डए), केन्द्रीय कार्यालय दि फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश	स्थान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सिंदरी, जिला धनबाद, (झारखंड)-828122 का है या उसके द्वारा अधिग्रहीत किया गया है।
श्री इरफान अहमद प्रभारी दि फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश	स्थान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तलचर, जिला अंगुल (उड़ीसा)-759106 का है या उसके द्वारा अधिग्रहीत किया गया है।

[फा. सं. 100/6/2019-एचआर-I]

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF CHEMICAL AND FERTILIZERS

(Department of Fertilizers)

New Delhi, the 24th January, 2023

S.O. 328.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of table below, being officers equivalent to the rank of Gazette Officer of Government to be the Estate Officers for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	**Categories of the public premises**
(1)	(2)
Sh. Uma Dutt Sati, In-charge (P&A), Central office, The Fertilizers Corporations of India Limited, NOIDA, U.P.	Premises belonging to or taken over by the Fertilizer Corporation of India, Sindri, District Dhanbad (Jharkhand) -828122
Sh. Irfan Ahmed, In-charge The Fertilizers Corporations of India Limited, Noida, U.P.	Premises belonging to or taken over by the Fertilizer Corporation of India, Talcher, District Angul (Orissa) -759106

[F. No. 100/6/2019-HR-I]

YASHPAL ARORA, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2023

का.आ. 329.—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), राजभाषा नियम 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों जहां 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करता है:-

1. **रेल विकास निगम लिमिटेड, अहमदाबाद यूनिट-380005.**

2. रेल विकास निगम लिमिटेड, भोपाल यूनिट-462016.

3. भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, जोधपुर।

4. क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, जयपुर-302016.

5. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मौला अली, सिकंदराबाद, तेलंगाना-500040.

[फा. सं. हिंदी-2018/रा.भा.-1/12/1/(1377147)]

डॉ. बरुण कुमार, निदेशक, (राजभाषा)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 8th February, 2023

S.O. 329 .—Ministry of Railways (Railway Board) in pursuance of Sub Rule (2) and (4) of Rule 10 of the Official Language Rules, 1976 (use for the Official purposes of the Union) hereby, notify the following offices where 80% or more Officers/ Employees have acquired the working knowledge of Hindi:-

1. **Rail Vikas Nigam Ltd., Ahmedabad Unit-380005.**
2. **Rail Vikas Nigam Ltd., Bhopal Unit-462016.**
3. **Container Corporation of India Ltd., Inland Container Depot, Jodhpur.**
4. **Regional office, Indian Railway catering & Tourism corporation Ltd., Jaipur-302016.**
5. **Zonal Railway Training Institute, Moula Ali, Secunderabad, Telangana-500040.**

[F. No. Hindi-2018/O.L-1/12/1/(1377147)]

Dr. BARUN KUMAR, Director (O.L.)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2023

का.आ. 330.—केंद्रीय सरकार एतद्वारा राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, कोयला मंत्रालय के नियंत्रणाधीन महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के कार्यालय 'केंद्रीय कर्मशाला, ईब वैली', जिसके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 13012/1/2017-हिंदी]

मनोज कुमार सिन्हा, उप निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 6th March, 2023

S.O. 330.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987), Central Government hereby notifies the Office 'Kendriya Karmshala, IB Valley' of the Mahanadi Coalfields Limited under the control of Ministry of Coal wherein the percentage of the staff having working knowledge of Hindi has gone above 80%.

[F. No. 13012/1/2017-HINDI]

MANOJ KUMAR SINHA, Dy. Director (Official Language)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.03.18 10:20:20 +05'30'